रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 1975/माघ 12, 1896
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 1975/MAGHA 12, 1896

इस भाग में भिन्न भृष्ठ संख्या दी जाती है कि यह अलग संकलन में रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

**(Department of Agriculture)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 29th January 1975*

**G.S.R. 38(E).**—Whereas in accordance with sub-section (4) of section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) (hereinafter referred to as the said Act), the following members of the Central Insecticides Board (hereinafter referred to as the said Board) have ceased to be the members of the said Board on the expiry of three years from the date of their nomination:—

1. Dr. S. K. Kashyap, Senior Scientific Officer, Toxicology Research Institute, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
2. Dr. V. N. Rao, Joint Director of Health Services, Poona.
3. Director of Agriculture, Punjab, Chandigarh.
4. Director of Agriculture, Tamil Nadu, Madras.
5. Dr. H. L. Bami, Director, Central Forensic Science Laboratory, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
6. Secretary, Central Insecticides Board.

And whereas in pursuance of clause (xvi) of sub-section (3) and (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby re-nominates Dr. S. K. Kashyap, now Assistant Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad; as a member of the said Board;

And whereas in pursuance of clause (xvii) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby nominates Additional Director of Medical and Health Services (Public Health) Andhra Pradesh, Hyderabad, as a member of the said Board; *vice* Dr. V. N. Rao, Joint Director of Health Services, Poona;

And whereas in pursuance of clause (xviii) of sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby nominates Director of Agriculture, Gujarat, and Director of Agriculture, West Bengal; as members of the said Board vice Director of Agriculture, Punjab, and Director of Agriculture, Tamil Nadu, respectively;

And whereas in pursuance of clause (xix) of sub-section (3) and (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby re-nominates Dr. H. L. Bami, Director, Central Forensic Laboratory, Ministry of Home Affairs, New Delhi, and Secretary, Central Insecticides Board, as members of the said Board;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments in the notifications of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture) No. G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971.

In the said notification, under the heading 'Members Nominated', for items (xiii), (xiv), (xviii) and (xix) and the entries relating thereto, the following items and entries shall respectively be substituted, namely:—

"(xiii) Director of Agriculture, Gujarat, Ahmedabad, *vice* Director of Agriculture, Punjab, Chandigarh;

(xiv) Director of Agriculture, West Bengal, Calcutta, *vice* Director of Agricultu Tamil Nadu, Madras;

(xviii) Medical Toxicologist—Dr. S. K. Kashyap, Assistant Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad; and

(xix) Incharge of the Department dealing with public health in a State—Additional Director of Medical and Health Services (Public Health), Andhra Pradesh, Hyderabad *vice* Dr. V. N. Rao, Joint Director of Health Services, Poona;".

[No. 19-20/74-PPS]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

## कृषि और सिंचाई मंत्रालय

### ( कृषि विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1975

**सा० का नि० 38(अ).**—यतः कीटनाशी अधिनियम, 1968 ( 1968 का 46) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा ( 4) के अनुसार, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त बोर्ड कहा गया है ) के निम्नलिखित सदस्य, उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति पर उक्त बोर्ड के सदस्य नहीं रहे हैं :—

1. डा० एस० के० कश्यप, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, आल इण्डिया इंस्टि यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, नई दिल्ली ।
2. डा० वी० एन० राव, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पूना ।
3. कृषि निदेशक, पंजाब, चण्डीगढ़ ।
4. कृषि निदेशक, तामिलनाडु, मद्रास ।
5. डा० एच० एल० बामी, निदेशक, केन्द्रीय न्याय विज्ञान प्रयोगशाला, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
6. सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड ।

और यतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) और (4) के खण्ड (xxi) के अनुसरण में, डा० एस० के० कश्यप को, जो इस समय सहायक निदेशक, राष्ट्रीय

व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद है, एतद्द्वारा उक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशित करती है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xiii) के अनुसरण में, अपर निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं (लोक स्वास्थ्य), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद को एतद्द्वारा डा० वी० एन० राव, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, के स्थान पर उक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित करती है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xviii) के अनुसरण में, कृषि निदेशक, गुजरात और कृषि निदेशक, पश्चिम बंगाल को एतद्द्वारा क्रमशः कृषि निदेशक, पंजाब और कृषि निदेशक, तमिलनाडु के स्थान पर उक्त बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित करती है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) और (4) के खण्ड (xix) के अनुसरण में, डा० एच० एल० बामी, निदेशक, केन्द्रीय न्याय विज्ञान प्रयोगशाला, गृह मंत्रालय नई दिल्ली और सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड को एतद्द्वारा उक्त बोर्ड के सदस्यों के रूप में पुनः नामनिर्देशित करती है ;

अतएव अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 301, तारीख 22 फरवरी, 1971 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उक्त अधिसूचना में "नामनिर्देशित सदस्य" शीर्षक के नीचे मद (xiii), (xiv), (xviii) और (xix) तथा उनसे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(xiii) कृषि निदेशक, पंजाब, चण्डीगढ़ के स्थान पर कृषि निदेशक, गुजरात अहमदाबाद ;

(xiv) कृषि निदेशक, तमिलनाडु, मद्रास के स्थान पर कृषि निदेशक, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ;

(xviii) चिकित्सा विष विज्ञानी—डा० एम० के० कश्यप सहायक निदेशक, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद तथा (xix) राज्य में लोक स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभाग का भारसाधक डा० वी० एन० राव, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पूना के स्थान पर अपर निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं (लोक स्वास्थ्य) आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ;"

[सं० 19-20/74-पी० पी० एस०]

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975